निर्णय वइजलास श्री रामावतार मीना आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :—133/2018 प्रा0 पत्र
दायरा दिनांक :—07.08.2018
निर्णय दिनांक :—18.07.2019

उनवान

लालजीराम पुत्र धन्नालाल जाति कुमावत निवासी उदपुरिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :—18.07.2019

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री अशोक कुमार पारीक —प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 84 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 206 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 207 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 208 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 247 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 270 रकबा 03 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 39 बीघा 07 बिस्वा मौजा उदपुरिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 158 सम्वत् 2072—75 से वादी के खातेदारी मे दर्ज जमाबंदी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजीयात में वादी के पिता का नाम भोलाराम दर्ज हो रहा है, जबकि भोलाराम तो प्रार्थी के दादा का नाम था, प्रार्थी के पिता का नाम धन्नालाल है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी के पिता का नाम धन्नालाल के स्थान पर भोलाराम दर्ज कर दिया है। वादी के नाम जारी दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम धन्नालाल ही दर्ज है तथा वादी के नाम अन्य आराजी ग्राम उदपुरिया की खाता संख्या 155 की किता 4 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा मे भी वादी के पिता का नाम धन्नालाल ही दर्ज है। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी के पिता का नाम भोलाराम दर्ज होने तथा प्रार्थी के नाम अन्य आराजी व अन्य दस्तावेज मे पिता का नाम धन्नालाल होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजीयात के संबंध मे कार्यवाही करने में, के सी सी ऋण प्राप्त करने मे काफी परेशानियॉ उत्पन्न हो रही है, इसलिए वादी के लिये वादपत्र के मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजीया तमे अपने पिता का नाम भोलाराम के स्थान पर धन्नालाल घोषित करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

प्रार्थी ने वादपत्र के मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजीयात में वादी के पिता का नाम भोलाराम के स्थान पर धन्नालाल दर्ज करने के लिये श्रीमान तहसीलदार साहब छीपाबड़ौद से कई बार निवेदन किया, लेकिन उनके द्वारा वादी के पिता का नाम भोलाराम के स्थान पर धन्नालाल दर्ज नही किया तथा अन्तिम बार दिनांक 02.08.2018 को निवेदन करने पर उन्होने मना कर दिया तथा माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी है, इस पर यह वादपत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 158, नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2072–75, खाता संख्या 155 नकल जमाबन्दी खतौनी बदोबस्त ग्राम उदपुरिया, खाता सख्या 34 सम्वत् 2013–32, नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2060–63, खाता संख्या 135, व 137, नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2056–59, नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2021–24 पेश की गई। फोटो पहचान–पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड की छाया प्रति पेश की गई। साक्ष्य प्रार्थी में मांगीलाल पुत्र मोतीलाल, जगदीश पुत्र माधोलाल, बंशीलाल पुत्र चतरा के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक प्रार्थी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम उदपुरिया मे स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात मे वादी के पिता का नाम भोलाराम दर्ज हो गया है, जबकि भोलाराम वादी के दादा जी का नाम था। वादी के पिता का नाम धन्नालाल है। वादी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में भोलाराम के स्थान पर धन्नालाल कराना चाहता है। वादी के पिता का सही नाम धन्नालाल है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, राशनकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड मे वादी के पिता का नाम धन्नालाल दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 155 मे भी वादी के पिता का सही नाम धन्नालाल दर्ज है, परन्तु जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 158 मे वादी के पिता का नाम भोला दर्ज किया गया है, जो गलत है। वादी के पिता का राजस्व रिकार्ड में भोलाराम के स्थान पर धन्नालाल दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई । पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 158 में लालजीराम वल्द भोलाराम कोम कुमावत सा.देह दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 155 मे लालजीराम पुत्र धन्नालाल जाति कुमावत सा.देह दर्ज होना पाया जाता है। नकल खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2013–32 खाता सख्या 34 में भोला पुत्र बलदेव कोम कुमावत सा.देह दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2060–63 खाता संख्या 135 में लालजीराम पुत्र धन्नलाल कोम कुमावत सा.देह दर्ज है, एवं खाता संख्या 137 मे लालजीराम पुत्र

भोलाराम कोम कुमावत सा.देह दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2056–59 के अनुसार धन्नालाल पुत्र भोलाराम कोम कुमावत सा.देह दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2021–24 खाता संख्या 30 मे भोलाराम पुत्र माधो कोम कुमावत दर्ज है। फोटो प्रति मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, एवं परिवार राशनकार्ड मे लालजीराम पुत्र धन्नालाल कोम कुमावत सा.देह दर्ज है। साक्ष्य प्रार्थी मे मांगीलाल ने अपने बयानो में बताया कि लालजीराम को मे जानता हूँ, इनके पिताजी का नाम धन्नालाल था, तथा इनके दादा जी का नाम भोलाराम है। लालजीराम के पिता का सही नाम धन्नालाल है। इसी प्रकार जगदीश पुत्र माधोलाल द्वारा अपने बयानो मे बताया कि लालजीराम को जानता हूँ, यह गांव उदपुरिया मे रहते है। लालजीराम की जमीन उदपुरिया मे है। लालजीराम के पिता का नाम धन्नालाल है, एवं दादा जी का नाम भोलाराम है। बंशीलाल पुत्र चतरा द्वारा अपने बयानो में बताया कि लालजीराम के पिता का नाम धन्नालाल है, तथा लालजीराम के दादा जी का नाम भोलाराम है। इनकी जमीन ग्राम उदपुरिया मे है। इससे यह साबित होता है, कि वादीगण लालजीराम के पिता का सही नाम धन्नालाल है। नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 158 में वादी के पिता धन्नालाल के स्थान पर भोलाराम दर्ज किया गया है, जो गलत है। खाता संख्या 155 में वादी के पिता का नाम धन्नालाल दर्ज किया हुआ है, वह सही है। मात्र एक जमाबन्दी में वादी के पिता के स्थान पर वादी के दादा जी का नाम अंकित किया हुआ है, वह गलत है। वादी अपने पिता का राजस्व रिकार्ड मे सही नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी का वाद व प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पिता का नाम भोला के स्थान पर धन्नालाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्टस्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम उदपुरिया के खसरा नंबर84 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर206 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 207 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 208 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 247 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 270 रकबा 03 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 39 बीघा 07 बिस्वा मे वादी के पिता का नाम भोला के स्थान पर धन्नालाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2019.08.09 12:03:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: